कम्प्यूटर परिपत्र सं० - 1314093 दि० - 04-12-2013

पत्र सं0-वि0अनु0शा0-सामान्य निर्देश /2013-14 / 1526 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(वि0अनु0शा0-अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ :: दिनांक : दिसम्बर 03, 2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर /
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

आप सभी भिज्ञ हैं कि इस समय धान का सीजन चल रहा है और दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह तक ही धान की प्रथम आमद सामान्यतया रहती है। धान से प्राप्त होने वाले राजस्व से संबंधित समस्त जांच कार्यवाही इसके पूर्व ही किया जाना इसी कारण आवश्यक है।

2- दिनांक 13.11.2013 को मुख्यालय पर आहूत बैठक के समय धान के परिवहन से संबंधित प्रभावी जांच हेतु कड़े निर्देश निर्गत किये गये थे। यह अपेक्षा की गयी थी मध्य प्रदेश, बिहार तथा दिल्ली राज्यों को गन्तव्य दर्शाते हुए जो धान का परिवहन घोषित किया जा रहा है , उसकी गहराई से जांच की जाये। यह भी निर्देश दिये गये थे कि जिन स्थलों से धान का मूवमेन्ट आरम्भ होता है , वहां के अधिकारी इनकी सूचना एकत्रित करते हुए इन्हें उस जोन को संसूचित करना सुनिश्चित करेंगे जहां से होकर इसके प्रान्त बाहर गन्तव्य की तथाकथित घोषणा ऐसे प्रेषणकर्ताओं द्वारा की जा रही है। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वास्तव में यह वाहन प्रदेश के बाहर उन स्थलों से निकल रहे हैं और इन्हें प्रान्त में ही करापवंचन की दृष्टि से अनलोड नहीं किया जा रहा है।

3- इस प्रकार के तथ्य प्रकाश में आये हैं कि उक्त निर्देशों का समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है। न तो निर्देशानुसार सूचनाएं प्रेषित की जा रही हैं और न ही उनके अनुरुप जांच कार्यवाही की जा रही है। आप अवगत हैं कि गेहूँ के संबंध में अपेक्षित राजस्व न मिलने का कारण यह रहा कि गेहूँ के तथाकथित रुप से प्रान्त बाहर दर्शाये जा रहे मूवमेन्ट की प्रभावी जांच कार्यवाही नहीं की गयी और इसी कारण उन राज्यों को गन्तव्य दर्शाते हुए गेहूँ का परिवहन किया जाना घोषित किया गया जिन राज्यों में गेहूँ करमुक्त है और करापवंचक तत्व सुनियोजित ढ़ग से वास्तविक करदेयता को छुपाते हुए गेहूँ का त्रुटिपूर्ण प्रेषण दर्शाने में सफल हो सके। यदि धान के विषय में भी योजनाबद्ध तरीके से सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हुए जांच कार्यवाही नहीं की गयी तो धान में भी वही स्थिति होने की संभावना है जो गेहूँ के संबंध में हुई थी। **अतः यह विषय अत्यन्त गम्भीर है** जिसके सबंध में प्रवर्तन इकाईयों को दक्षता से कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

4- ज्ञातव्य है कि इस वर्ष धान की सरकारी खरीद गत वर्ष की तुलना में उत्साहवर्धक नहीं रही है। ऐसी स्थिति में मण्डियों में आमद , राइस मिलों द्वारा दर्शायी जा रही खरीद और प्रान्त बाहर दर्शाये जा रहे तथाकथित प्रेषण की वस्तुस्थिति की गहराई से जांच आवश्यक है।

अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि धान के मूवमेन्ट की उक्त परिप्रेक्ष्य में गहराई से जांच कराया जाना सुनिश्चित करें और यदि इस संबंध में अपेक्षानुरुप राजस्व प्राप्त नहीं होता है तो इसके लिये आप सभी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

mk 03.12.2013
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश